संख्या 244/II-2005-03-(05)/05

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 10 मार्च 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए आयोजनेत्तर मदों में पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 28205421/मु0अ0चि0/बजट/बी-1, सामान्य, दिनांक 28.02.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि संलग्न बी0एम0-15 पर अंकित विवरणानुसार लघु डाल एवं नलकूपों के विद्युत बीजकों के भुगतान हेतु उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 600.00 लाख(रूपये छ करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा। जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक भारत सरकार, महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

5- धनराशि के सयमबद्ध व्यय करने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस धनराशि पर पूर्ण उपभोग कर इस वित्तीय वर्ष के उपभोग कर इस वित्तीय वर्ष के कोई विद्युत व्यय लम्बित न रहें।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित किया जायेगा।

क्रमश..............2

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत संलग्नक में आयोजनेत्तर पक्ष के उल्लिखित उप शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 735/वि0अनु0–3/ 2004 दिनांक 09 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्या 244/ ।।–2005–03–(21)/04,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट, अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

• नियंत्रक अधिकारी–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि0वि0, उत्तरांचल

प्रशासनिक विभाग:– सिंचाई विभाग

अनुदान संख्या–20 वित्तीय वर्ष 2004–05 (अयोजनेत्तर) (धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 01/05 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें स्थानान्तरित जाना है	पुनर्विनियोग के बाद सतम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद सतम्भ–1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी 00–01 वेतन रू0 450000 00–48 महंगाई वेतन रू0 225000	351185 142653	46971 23514	51844 58833	2702–लघुसिंचाई 01–सतही जल 102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें 03–अनुरक्षण 00–09 विद्युत देय रू0 30000 02–भू–जल 103–नलकूप 03–अनुरक्षण 00–09 विद्युत देय रू0 30000	65000 105000	42,00,00 19,50,00	01– वेतन मद में एवं महंगाई वेतन मद में व्यय कम व्यय होने एवं बजट प्राविधान अधिक होने के कारण बचत है। लिफ्ट सिंचाई एवं नलकूपों के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की नितान्त आवश्यकता है।
रू0 675000	493838	70485	110677.00	रू0 60000	170000	61,50,00	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट अनुमान परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव (सिंचाई)

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: 735 (क)/वि0अनु0–3/2004–05
देहरादून दिनांक 09.03.2005

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

2– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव (सिंचाई)